न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 82 / 2021

अनवान : –

1. बनवारीलाल पुत्र आशाराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र आशाराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र आशाराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. मैना देवी पत्नी मुखराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. राजबाला 5. मांगीराम 6. सुमन पुत्र व पुत्रीयान मुखराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. सुरेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
8. चन्द्रकला पत्नी रामलाल जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
9. मुकेश पुत्र शंकरलाल जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. पंजीयक कार्यालय फेफाना / नोहर तहसील नोहर।
12. मदनलाल पुत्र शंकरलाल छिम्पा बडबिराना।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय **दिनांक:** 15/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ेही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 10 / 10 के ख.न. 370 की 30 बीघा 05 बिस्वा ख.न. 371 की 7.05 बीघा ख.न. 765 की 6.15 बीघा ख.न. 773 की 17 बीघा 07 बिस्वा ख.न. 774 की 28 बीघा कुल तादादी 95. 12 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें सयुक्त तौर से आशाराम पुत्र गिरधारी जाति छीपा साकिन बडबिराना तहसील नोहर 1 / 7 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे।

आशाराम पुत्र गिरधारी जाति छीम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर फौत हो चुका है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि केशर देवी पत्नी आशाराम एवं उनके पुत्रगण मुखराम मोहनलाल, कृष्णलाल पि. आशाराम पर तथा शंकरलाल, सुरेन्द्र पि. श्रीराम जाति छीम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर पर औद हुई एवं केशरदेवी पत्नी आशाराम मुखराम, मोहनलाल कृष्ण पुत्रगण आशाराम एवं शं... ने अपना हक व हिस्सा दिनांक 27 / 11 / 1990 को बनवारी पुत्र ... बडबिराना तहसील नोहर साकिन बडबिराना तहसील नोह... कर दिया था एवं ... रजि. दस्तावेज, दस्तबरदारी / हक त्याग सायल के पक्ष में त...र करवा दिया था ...परोक्त दस्तावेज, दस्तबरदारी दिनांक 27 / 11 / 1990 को सब रजि. नोहर से तहरीर शुदा 'है तथा मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

दस्तबरदारी के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील मोहर के खाता सं. 10/10 की कुल 95 बीघा 12 बिस्वा में सयुक्त रूप से सायल अकेला 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौज बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 47/50 की कुल 24.1790 हेक्टर भूमि में वादग्रस्त भूमि में सायल अकेला सयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार दर्ज होना चाहिए था। परन्तु वादग्रस्त भूमि आशाराम पुत्र गिरधारी जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर के सभी वारिसान के नाम विरास्तान दर्ज कर दी गई सायल ने अपने नाम वादग्रस्त भूमि को मुताबिक दस्तबरदारी के अनुसार दर्ज करवाने हेतु राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दस्तबरदारी दे दी थी परन्तु मुताबिक दस्तबरदारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि सायल के नाम दर्ज नहीं की गई तथा वादग्रस्त भूमि आशाराम के वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है। सायल के पक्ष में दस्तबरदारी दिनांक 28/11/1990 के आधार पर सायल वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है तथा वादग्रस्त भूमि सायल के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि में गैरसायलान का हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। इसलिए रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 47/45 की कुल 24.1790 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से सायल अकेला 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं गैरसायलान सं. 1 ता 10 का नाम कलमजन करवाकर वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने का अधिकारी है इसी अनुसार सायल न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि विरास्तन गैरसायलान सं. 1 ता 10 के नाम दर्ज है गैरसायलान सं. 1 ता 10 के नाम दर्ज है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 10 वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज होने के कारण सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत करने की योजना बना रहे है। तथा सायल को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि रहन / बेय करने पर उतार है। यदि ऐसा करने में गैरसायलान कामयाब हो जाते है तो सायल का ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा। तथा सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ रहन / बैय एंव वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनायी रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवापाने के अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 47/15 की कुल 24. 1790 हैक्टर भूमि को गैरसायलान रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 47/45 की कुल 24.179[illegible]मि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जा[illegible] उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3, 5, 8, 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि पैतृक भूमि हो जो की गैरसायलान के नाम विरासतन दर्ज हुई है इसमें सायल का कोई हक हिस्सा नही है। दस्तबरदारी दिनांक 27.11.1990 को हुई है जबकि सायल द्वारा इतने वर्षो तक उक्त दस्तबरदारी बाबत क्या कार्यवाही की गई सायल द्वारा लगभग 36 बाद उक्त दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातदेार है अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि आशाराम पुत्र गिरधारी जाति छीम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर फौत हो चुका है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि केशर देवी पत्नी आशाराम एवं उनके पुत्रगण मुखराम मोहनलाल, कृष्णलाल पि. आशाराम पर तथा शंकरलाल, सुरेन्द्र पि. श्रीराम जाति छीम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर पर औद हुई एवं केशरदेवी पत्नी आशाराम मुखराम, मोहनलाल कृष्ण पुत्रगण आशाराम एवं शंकरलाल सुरेन्द्र पि. श्रीराम ने अपना हक व हिस्सा दिनांक 27/11/1990 को बनवारी पुत्र आशाराम जाति छीम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर साकिन बडबिराना तहसील नोहर के पक्ष में परित्याग कर दिया था परन्तु आदिनांक तक मुताबिक रजि0 दस्तबरदारी के सायल के नाम भूमि दर्ज नही हुई जबकि विरासतन अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गयी अप्रार्थीगण के नाम उक्त वाद भूमि दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तरदारी दिनांक 27.11.1990 की चित्रप्रति के मुताबिक केशरदेवी पत्नी आशाराम मुखराम, मोहनला[illegible] शंकरलाल सुरेन्द्र पि. श्रीराम द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग साय[illegible] है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो की [illegible] वारिस है। अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में की गई दस्तबरदारी सही या गलत का निर्धारण मूल वाद में तय होना है जो की न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत विचाराधीन है। विवाद एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:18:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर
Rahul

ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित अराजी का काश्तकार है लेकिन अप्रार्थीगण के पूर्वजों के द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग सायल के पक्ष में किया गया है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 47/45 की कुल 24.1790 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15/05/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर